

सचिन तुरी,
सचिन,
उत्तराखण्ड शासन।

जिलाधिकारी,
वगडोली ।

राजसूय अनुभाग-२

राजस्व अनुभाग-2

विषय:- जनपद चमोली के विभाग खण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओखर में पिण्डर नदी के ऊपर 125 मीटर स्पान झूलापुल के निर्माण हेतु 0.040 हे० सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून दिनांक 10 मई, 2023

जिलाधिकारी,
चमोली।

एलओओपीओ(2022-23) दिनांक 10 मई, 2023

विषय:- जनपद जलाराम
125 मीटर स्थान झूलापुल के निर्माण हेतु
प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय, जलाराम अपने पत्र संख्या-3430/प्रतीक-24/एनओपीओ(2022-23) दिनांक
12.05.2022 को जलाराम से जनपद जलाराम के
125 मीटर स्थान झूलापुल के

विषय:- जनपद चमोली
125 मीटर स्थान झूलापुल के निर्माण हेतु
हरस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

तत्परोक्ष विपक्षक अपने पत्र संख्या-3430/छत्तीस-24/एल0ए0पी0(2022-23), दिनांक 29 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओडर में पिण्डर नदी के ऊपर 125 मीटर स्थान झूलापुल के निर्माण हेतु तहसील देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओडर की ख0ख0स0-46 के खसरा संख्या-2280 संख्या 0.199 है0 भूमि भये 0.020 है0 भूमि जो कि नॉनजडए थणी-10(4) अन्य कारणा से सड़ भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम ओडर की ख0ख0स0-27 के खसरा संख्या-2378 संख्या 3.520 है0 भूमि भूज 0.020 है0 भूमि, जो, कि नॉनजडए थणी 10(2) जलमय भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है अर्थात कुल 0.040 है0 स्थित भूमि को लोक निर्माण विभाग के नाम हरस्तान्तरण किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

हैं एवं यह कहन का निर्देश हुआ है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड 125 मीटर स्थान झूलापुल के निर्माण हेतु स्थित भूमि को

3.520 हे० भूमि माली 0.020 हे० सिंचित भूमि को लोकोपयोगी बनाया गया है।
अभिलेख है अर्थात् कुल 0.040 हे० सिंचित भूमि को प्रस्तावित शासन को प्रेषित किया गया है।
जाने की अनुमति प्रदान करने को सम्बन्ध में प्रस्तावित शासन को प्रेषित किया गया है।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद झूलगुल के निर्माण हेतु
देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओडर में विण्डर नदी के ऊपर 125 मीटर स्मान झूलगुल के निर्माण हेतु
आपके स्वतः सार्वजनिक पत्र दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा प्रस्तुत किए गए 0.040 हे० सिंचित भूमि को
शासनानुदेश संख्या-496/ दिनांक 28 जुलाई 2020 में दी गयी जानकारी के अनुसार जांच, निर्माण प्रमाण
के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन हस्तान्तरण करने की श्री राज्यपाल महोदय सहित
स्वीकृति प्रदान करते हैं -

- (1) भूमि पर जाड़े भागिक अधिका ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए भूमि विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि ही आवश्यकता न हो या जो कार्य हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाय तो न तो भूमि विभाग में रजिस्ट्री होना चाहिए।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है उस से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि विभाग प्राप्ति की भूमि विभाग की राजस्व की दिव्य भूमि हस्तांतरित नहीं हो जायगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है उससे भूमि के उपरान्त यदि भूमि आवश्यक पड़े जाय तो न तो भूमि विभाग में रजिस्ट्री होना चाहिए।
- (7) प्रयोजन भूमि आदेश के तहत भूमि का उपयोग, हस्तांतरण, नवीनीकरण में योजित कोऑर्डिनेशन संख्या-233/2029 समझौता रजिस्ट्रार महामुख संलग्न उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य न जारी आदेश दिनांक 04-07-2013 के अनुषंगान्त में निर्दिष्ट शासनादेश दिनांक 15-04-2013 तथा शासनादेश संख्या 1045, दिनांक 20-जून-2013 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक भूमि हस्तांतरण के लिए भूमि विभाग में रजिस्ट्री होना आवश्यक है।
- (8) भूमि विभाग हेतु हस्तांतरण के तहत भूमि पर संरक्षण, भूमि विभाग हेतु माह सुरक्षा के माफक का भूमि स्वयं से अनुपानन सीमांतगत किया जायगा।

NARESH CHAMOLI
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

Ashish
3E

- (D) इस सचिव में विहित अपील संख्या-1132/2011(एसओएलओपीओ)/सी संख्या-1109/2011
की जमानत मिला एव अन्य न-कम पत्राचार संख्या एव अन्य में माओ सदीय-योजनाओं के
आदेश एवं अन्य समस्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
कृपया इस सचिव में नियमानुसार अवसर कमरेवादी सुनिश्चित करते हुए सामानादेश के
परिप्रेक्ष्य में जिलास्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शर्मादेश की कड़ी की
अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत करने का कष्ट करें।
भवदीय,

Signed by Suchin
Sharnadchandra Kurvo
Date: 10-05-2023 10:38:36
सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रभुका एव सचिव, राज्य परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्ता, नदवाल मण्डल, पाली।
- 4- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, मुमुना कालानी, देहरादून।
- 5- अभियंता अभियंता, निर्माण खण्ड सांनिधिओ समोको।
- 6- निदेशक, एसओडोसीओ, सचिवालय, देहरादून।
- 7- माई फाईल।

आज्ञा से.
Signed by Anand
Srivastava
Date: 10-05-2023 13:10:18
(डा० आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

NARESH CHAMOLI
Environment Expert
FNU FWD (U-PREPARE)
Dehradun

Handwritten signature and initials.